संख्या-12/2021/248/18-2-2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2 लखनऊः दिनांकः 22 अप्रैल, 2021

विषय- कोविड-19 महामारी के बढते संक्रमण के दृष्टिगत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाइयों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्तमान में बढ़ते कोविड संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति प्रतिष्ठानों इकाइयों में अनवरत उत्पादन एवं रोजगार की निरन्तरता बनाये रखने हेतु निम्नवत निर्देश जारी किये जा रहे हैः-

1. वर्तमान परिवेश एवं रात्रि कालीन कोरोना कर्फ्यू की अवधि में फिलहाल अग्रिम आदेश तक कोई फैक्ट्री/उत्पादक इकाई में उत्पादन बंद नही होगा और न ही कोई इकाई बंद होगी। सम्बन्धित जनपदों के उपायुक्त उद्योग, श्रम विभाग के स्थानीय अधिकारियों व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर जिलाधिकारी के माध्यम से उक्त कार्य सुनिश्चित करायेंगे।

2. जिन शहरों/क्षेत्रों में रात्रि कालीन या किसी समय कर्फ्यू के आदेश हो उस अवधि में विभिन्न इकाइयों/प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूरों, कार्मिकों, उनके इंजीनियर अन्य स्टॉप के अधिकारियों एवं मालिकों के इकाई तक आने जाने-हेतु इन इकाइयों द्वारा जहॉ वे कार्यरत है, जारी पहचान पत्र के आधार पर शिथिलता प्रदान की जाय। सम्बन्धित उपायुक्त जिला उद्योग यह सुनिश्चित करायेंगे कि सभी इकाइयॉ अपने यहॉ कार्यरत सभी कार्मिकों हेतु पास जारी करें।

3. सम्बन्धित उत्पादक इकाइयों में कोविड प्रोटोकाल का शतप्रतिशत ध्यान रखा जायेगा। यथावश्यकतानुसार जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों की सहायता से कोविड-19 के संक्रमण के सम्बन्ध में सुरक्षा हेतु जागरूकता बढ़ाने एवं सावधानी बरतनें का प्रशिक्षण कार्य स्थलमौके पर ही प्रदान किया जाय।

4. इकाइयों के प्रबन्ध की ओर से सभी कार्मिकों को बचाव के लिए आवश्यक मास्क, सैनिटाइजर, ग्लब्स, पी0पी0ई0 किट आदि उपलब्ध कराया जायेगा।

5. इकाई प्रबन्धन प्रवेश द्वार पर एक कोविड हेल्प डेस्क भी संचालित करेगा, जो आने जाने वाले विभिन्न व्यक्तियों एवं कार्मिकों की प्रारम्भिक जाँच जैसे तापमान, आक्सीजन लेवल आदि चेक करने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे और सही ढ़ंग से उन्हे सैनिटाइज करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. इकाई प्रबन्धन कोविड प्रोटोकाल सम्बन्धी जारी समस्त शासकीय एवं स्थानीय आदेशों का अनुपालन अपनी इकाई में सुनिश्चित करायेंगे।

7. जो भी कार्मिक इकाइयों में कार्यरत हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य इकाई प्रबन्धन से मिल कर उपायुक्त जिला उद्योग एवं श्रम आदि विभाग से सम्बन्धी अधिकारियों से समन्वय कर सुनिश्चित करायेंगे।

8. इकाई प्रबन्धन इकाइयों में सोशल डिस्टेसिंग एवं नियमित रूप से सेनिटाइजेशन का पूर्ण पालन करायेंगे तथा समय-समय पर जिला उद्योग इसका निरीक्षण सुनिश्चित करायेंगे।

9. ऐसी बड़ी इकाइयाँ जहाँ अधिक कार्मिक कार्यरत है, वहाँ दूर से आने वाले कार्मिकों को सुरक्षित ढ़ंग से रहने का प्रबन्ध सम्बन्धित इकाई परिसर में ही करना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है इससे इकाई में सक्रंमण की सम्भावना कम होगी।

10 सभी इकाई के कार्मिकों का अभियान चला कर एंटीजन टेस्ट और यथावश्यकतानुसार कोविड लक्षण वाले कार्मिकों का आर0टी0पी0सी0आर0 अवश्य करा लिया जाय। जिलाधिकारी यह कार्य मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करायेंगे।

11. जिन जनपदों में मेडिकल किट दवाईयाँ एवं कोविड सम्बन्धित इकाइयाँ है, उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा उनके द्वारा उत्पादित सामाग्रियों को इकाई प्रबन्धन द्वारा निर्धारित स्थल तक आपूर्ति के लिए इन इकाइयों के प्रबन्धन/मालिकों के साथ एक वार्ता जिला प्रशासन के पहल पर अवश्य करा लिया जाय, ताकि इन इकाइयों में किसी प्रकार की उत्पादन एवं आपूर्ति सम्बन्धी यथा ट्रांसपोर्टेशन, कच्चे माल की आपूर्ति, श्रमिकों की कमी, विद्युत अनापूर्ति जैसी कोई समस्या न रहे और उत्पादन क्षमता एवं आपूर्ति अधिकतम बनी रहें।

12. जिन जनपदों में सैनिटाइजर बनाने के लिए एल्कोहल, चीनी मिल इकाइयाँ आदि अधिकृत है उनके लिये यह विशेष रूप से देखा जाय कि उन्हे लाइसेंस प्राप्त करने, उत्पादन बढ़ाने तथा निरंतर आपूर्ति किये जाने में कोई कठिनाई न हो।

13. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों का मास्क, पी0पी0ई0 किट, ग्लब्स, सैनिटाइजर पैकेजिंग एवं अन्य कोविड से जुडे उत्पादों को बढ़ाने में पूरा सहयोग प्राप्त किया जाय।

14. सम्भावना है कि आने वाले दिनों में प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में अपने घरों को वापस आ सकते है। इसके लिये आवश्यक है कि उनके कुशलता की जानकारी विभिन्न विभागों के माध्यम से यथा ग्राम्य विकास, पंचायती राज, श्रम विभाग, राजस्व विभाग आदि के माध्यम से करा लिया जाय और उनकी एक सूची तैयार कर ली जाय। इन प्रवासी श्रमिकों का स्थानीय स्तर पर इनके हुनर का उपयोग विभिन्न क्रियाकलापों, विभिन्न सामग्री के उत्पादन में किया जाय, जिससे इनके समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न न हो तथा साथ ही साथ विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में इनका सहयोग प्राप्त हो सके। जिला सेवायोजन अधिकारी स्किल मैपिंग करायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि निम्न क्रियाकलापों और उत्पादों पर किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभाव न पड़ेः-

(1) आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित उद्योग, जिसमें खाद्य पदार्थ ब्रेड, बिस्किट, आटा, दाल, खाद्य तेल, चावल, चीनी, पीने का पानी, दूध व दूध से सम्बन्धित उत्पाद तथा उन उत्पादों के लिए प्रयोग की जाने वाली पैकिंग सामग्री की इकाइयाँ।

(2) मेडिकल उपकरण जिसमें मास्क, सेनेटाइजर, वेंटीलेटर पी0पी0ई0 किट, दवा, जिनमें आयुष भी सम्मिलित है तथा दवाओं में काम आने वाली सामग्रियों इण्टरमिडयरी तथा इनकी पैकिंग से सम्बन्धित सामग्री की इकाइयाँ। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मास्क, सेनेटाइजर, पी0पी0ई0 किट एवं वेंटीलेटर की इकाइयों को शत-प्रतिशत क्षमता के अनुसार अनुमतिपत्र दिये जायेंगे। यहाँ यह भी प्रयास किया जाय कि यदि सम्भव हो तो इन उद्योगों की क्षमता में वृद्धि भी कराई जाय।

(3) कोयला व खनिज पदार्थ का उत्पादन, परिवहन एवं खनन प्रक्रियाओं से सम्बन्धित गतिविधियाँ।

(4) खाद, कीटनाशक, बीज उत्पादन तथा इनकी पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली इकाइयाँ।

(5) कृषि संयत्र एवं उनसे सम्बन्धित उत्पाद बनाने वाली इकाइयाँ।

(6) डिटरजेंट एवं साबुन उत्पाद की इकाइयाँ।

(7) साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लाण्ट।

(8) खाद्य प्रसंस्करण बनाने वाली इकाइयाँ व फल/सब्जी की पैकेजिंग इकाइयाँ।

(9) उपरोक्त उत्पादों की प्रिण्टिंग व पैकेजिंग करने वाली इकाइयाँ।

(10) किसानों द्वारा उत्पादित सब्जी, दूध, अनाज, दाल आदि का सुगमता से मण्डी पहुँचना।

(11) किसानों के गेहूं का राजकीय क्रय केन्द्रों पर तत्परता से क्रय कराना, चूंकि इसका सम्बन्ध किसानों एवं बहुसंख्यक आबादी/परिवार की आय से है, इसलिये गेहूं के क्रय केन्द्रों की सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन एवं आपूर्ति को बनाये रखने के लिए जो भी उपाय हो, उनकी समीक्षा कर इसे गतिमान किया जाय। इन निर्देशों का जनपद में एक टीम भावना से तथा परस्पर सहयोग से नियमित रूप से समीक्षा करते हुए लागू किया जाय।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्याः12/2021/248(1)/18-2-2021,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/राजस्व/एमएसएमई/ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज/श्रम/आबकारी/कृषि, उ0प्र0 शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
7. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उ0प्र0।
10. समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग/उपायुक्त उद्योग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।